



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265107
CG-DL-E-30072025-265107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3400]
No. 3400]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3480(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांकित 13 दिसंबर, 2024 में प्रकाशित सं. 5015 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ), 13 दिसंबर, 2024 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच- 14013/18/2025-पी एंड एम]
शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3480(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 5421(E), dated the 13th December, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary No. 5015 dated 13th December, 2024, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/18/2025-P&M]
SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3481(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3140(अ), दिनांकित 8 जुलाई, 2022 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 347बी	खेडी-आशापुर खंड (मध्य प्रदेश राज्य में)	किमी 0 से किमी 127 (लंबाई- 127 किमी)
----------------------------------	--	--------------------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/18/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 3140 (अ), दिनांकित 8 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3481(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 3140 (E), dated the 8th July, 2022, namely:—

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:—

New NH- 347B	Khedi - Ashapur Section (In the State of Madhya Pradesh)	Km 0 to Km 127 (length- 127 Km)
-----------------	---	---------------------------------

[F. No. NH-14013/18/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note:—The principal notification was published vide number S.O 3140 (E), dated the 8th July, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3482(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज /लंबाई किमें .मी. (3)
347बी	खेडी-आशापुर-रूधी-सुरगांव निपानी (खंडवा) बाइपास)-देशगांव-खरगोन-जुलवानिया खंड	किमी 0.000 से किमी 286.330

[फा. सं. एनएच-14013/18/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3482(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

Table

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ Length in km (3)
347B	Kheri- Ashapur- Rudhy- Sargaon Nipani (Khandwa Bypass)- Deshgaon- Khargon- Julwania Section	Km 0.000 to km 286.330

[F. No. NH-14013/18/2025-P&M]
SHAIKH AMINKHAN, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3483(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:- उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 243.600 से किमी 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 12 [किमी 315.725 से किमी 421.325 (भोपाल व्यावरा खंड) और किमी 66.000 से किमी 130.424 (हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 12ए [किमी 89.600-किमी 192.400 (मांडला – चिलपी खंड) और (दमोह - जबलपुर - बरेला खंड 122.800 किमी) तक खंड को छोड़कर], सं. 26ए, सं. 27, सं. 59 [किमी 9.500 से किमी 171.000 (इंदौर – झाबुआ – म. प्र./गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 69 (किमी 0.60 से किमी 8.300 और किमी 8.400 से किमी 20.700 (रातापानी खंड) तथा किमी 20.700 से किमी 256.400 तक खंड को छोड़कर), सं. 75 [(ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाइपास सहित ग्वालियर से म. प्र./ उ. प्र. सीमा के किमी 0.000 से किमी 85.000 और किमी 2.800 से किमी 83.400 (रीवा – सीधी खंड) और किमी 6.500 से किमी 12.000 और किमी 24.000 से किमी 33.390 और किमी 40.225 से किमी 41.350 और किमी 43.240 से किमी 44.432 और किमी 82.100 से किमी 108.000 (झांसी- नौगांव खंड) और किमी 0.000 से किमी 57.900 (बमिथा के पास) (नौगांव – सतना खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 76 [किमी 0.000 से किमी 30.000 (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 78 [किमी 0.00 से किमी 69.100 (कटनी – उमरिया खंड) और किमी 142.200 से किमी 245.000 (शहडोल – अनूपपुर – म. प्र./छत्तीसगढ़ सीमा खंड)]	मध्य प्रदेश राज्य सरकार

तक खंड को छोड़कर], सं. 92, नई रारा सं. 339बी, नई रारा सं. 45वि., नई रारा सं. 56 [अंबुआ – दाहोद खंड (29 किमी)], नई रारा सं. 135सी, नई रारा सं. 347ए, नई रारा सं. 347सी, नई रारा सं. 548सी, नई रारा सं. 552वि., नई रारा सं. 346 [किमी 87 से किमी 159 (धोलीखेड़ी – मेहुला चौराहा (कुरवई) खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 752बी, नई रारा सं. 752सी, नई रारा सं. 752जी, नई रारा सं. 543, नई रारा सं. 146बी [किमी 0.00 से किमी 43.900 (संदलपुर से नसरुल्लगंज खंड और किमी 87.550 से किमी 150.700 (बुधनी से बादी खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 347बी {किमी 0.000 से किमी 286.330 [खेड़ी- आशापुर रूढ़ी- सुरगांव निपानी (खंडवा बाइपास) - देशगांव – खरगोन – जुलवानिया खंड को छोड़कर]}], नई रारा सं. 43वि., नई रारा सं. 135बी और नई रारा सं. 943 के उतने भाग जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा. सं. एनएच-14013/18/2025-पीएंडएम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 3376 (अ) और 3377 (अ) दिनांकित 23 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3483(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Table

(1)	(2)	(3)
“13	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], No.12 [excluding from km 315.725 to km 421.325 (Bhopal Bioara Section) and from Km. 66.000 to Km. 130.424 (Hiran river to Sindoor river section)], No. 12A [excluding from Km 89.600-Km-192.400 (Mandla-Chilpi Section) and (Damoh- Jabalpur - Barela Section 122.800 km)], No. 26A, No. 27, No. 59 [excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore- Jhabua-MP/Gujarat Border)], No. 69 [excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from Km. 8.400 to km. 20.700 (Ratapani section) and from km. 20.700 to km. 256.400], No.75 [excluding from km. 0.000 to km. 85.000 of Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi Section and from 2.800 to km 83.400 (Rewa-Sidhi section) and from km. 6.500 to km. 12.000 and from km. 24.000 to 33.390 and from km. 40.225 to km. 41.350 and from km. 43.240 to km. 44.432 and from km. 82.100 to	State Government of Madhya Pradesh”.

	km.108.000 (Jhansi- Nowgaon Section) and from km. 0.000 to 57.900 (near Bamitha) (Nowgaon- Satna Section)], No. 76 [excluding from Km. 0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan Border to Shivpuri)], No. 78 [excluding from Km 0.00 to km 69.100 (Katni – Umria Section) and from km 142.200 to km 245.000 (Shahdol-AnuppurMP/Chhatishgarh Border Section)], No. 92, new NH No. 339B, new NH No. 45 extn., New NH No. 56 [Ambua- Dahod Section (29 Km.)], new NH No. 135C, new NH No. 347A, new NH No. 347C, new NH No. 548C, new NH No. 552 Extn., new NH No. 346 [excluding Km 87 to Km 159 (Dholikhedi- Mehula chouraha (Kurwai) Section], new NH No. 752B new NH No. 752C, new NH No. 752G, new NH No. 543, New NH No. 146B [excluding from Km. 0.00 to Km. 43.900 (Sandalpur to Nasrullaganj Section) and from Km. 87.550 to Km. 150.700 (Budhni to Badi Section)], New NH No. 347B {excluding from Km 0.000 to km 286.330 [Kheri- Ashapur- Rudhy- Surgaon Nipani (Khandwa Bypass)- Deshgaon- Khargon- Julwania Section)]} new NH No. 43 Extn., new NH No. 135B, and new NH No. 943 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	
--	--	--

[F. No. NH-14013/18/2025-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 3376 (E) and 3377(E), dated the 23th July, 2025.